कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-294/2023 दिनांक-13.09.2023

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना देवगाँव आजमगढ़

चोरी की घटना का सफल अनावरण; चोरी गये सामान(कीमत लगभग 7.5 लाख रूपये) व अवैध असलहा व कारतूस के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण- दिनांक- 09.09.2023 को वादी सुबाष चन्द्र यादव पुत्र चन्द्रबली यादव ग्राम बहादुरपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी के नेशनल पैथोलाजी की दुकान ग्राम तरफकाजी मे स्थित है जो दिनांक 09.092023 रात्रि में दुकान का चैनल का ताला तोड़कर दुकान के अन्दर घुसकर फस्ट फ्लोर पर जाकर वहा पर भी दो तीन दरवाजा तोड़कर CBC सेल काउन्टर मशीन,बायो कमेस्टी मशीन ,कैमरा मशीन ,माइक्रो स्कोप ,बैटरी,लैब कैमिकल व काउन्टर को तोड़कर 10 हजार नगद रुपये लेकर चले गये है, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 413/2023 धारा 457,380 भा0द0वि0 पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 गौरव कुमार सिंह द्वारा किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 13.09.2023 को उ0नि0 गौरव कुमार सिंह मय उ0नि0 मुरारी मिश्र मय हमराह को सूचना मिली कि 04 व्यक्ति दिनांक 09.09.2023 की रात्री में तरफकाजी में पैथोलाजी की दूकान में हुई चोरी के सामान को लेकर देवगांव हाईवे मोड़ पर खड़े होकर सामान को कहीं बेचने जाने हेतु वाहन का इन्तराज कर रहे हैं। इस सूचना पर हाई मोड़ पर खड़े व्यक्ति पुलिस वालों को देखकर भागना चाहे कि जिन्हे घेरकर मौके पर ही 02 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया तथा 02 व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गयें।

बरामदगी का विवरण- पकड़े गये पहले व्यक्ति ने अपना नाम अमरजीत पुत्र बुद्धी राम निवासी रकैचा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ बताया तथा तलाशी से 01 अदद मानीटर, 01 अदद कीबोर्ड, 01 अदद माउस, 01 अदद सीपीयू व 02 अदद कम्प्यूटर केबल बरामद हुआ। दूसने व्यक्ति ने अपना नाम राहुल पुत्र बालचन्द्र राम निवासी रकैचा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ बताया तथा तलाशी लेने पर 01 अदद नाजायद तमंचा .303 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस .303 बोर व 01 अदद सीबीसी मशीन, 01 अदद बारकोड स्कैनर मशीन बरामद हुआ।

➡ गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि कि मौके से फरार अभियुक्त सुनील पुत्र राजेन्द्र निवासी लेबरुआ थाना चन्दवक जनपद जौनपुर है जिसकी एक गैंग है तथा गैंग के साथ मिलकर थाना बरदह, चन्दवक, केराकत, मेहनाजपुर, मेहनगर आदि थाना क्षेत्रों में कई जगह चोरियां की है। जिसके सामान को फरार अभियुक्त सुनील के किराये के मकान में रखा गया है। पकड़े गये अभियुक्तों की निशानदेही पर उक्त कमरे से 04 अदद बैटरी, 01 अदद हेलमेड, 02 अदद रेफ्रिजरेटर, 01 अदद घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 अदद फर्राटा पंखा, 01 अदद होम थिएटर, 01 अदद बुस्टर एम्प्लिफायर, 01 UTL SOLAR 01 अदद वायरलेस माइक्रोफोन सीरीज, 01 अदद स्टूडियों मास्टर, 03 अदद राड स्टील, 09 अदद टायर, 01 अदद वाशिंग मशीन, 01 अदद मानीटर, 01 अदद की बोर्ड, 01 अदद माउस, 01 अदद इन्वर्टर, 01 अदद मोनो ब्लाक क्राम्पटन ग्रीब्ज कम्पनी, 02 अदद स्टील का छोटा ड्रम व 01 अदद कुकर बरादम हुआ। जिन्हे कारण गिरफ्तारी बताकर नियमानुसार समय करीब 03.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1-मु0अ0सं0 413/2023 धारा 457,380,411 भादवि थाना देवगांव आजमगढ़ (अभियुक्त अमरजीत व राहुल)

2-मु0अ0सं0 422/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना देवगांव आजमगढ़ (राहुल पुत्र बालचन्द्र राम)

बरामदगी का विवरण- (चोरी गये सामान की कीमत लगभग 7.5 लाख रूपये)

1. अभियुक्त अमरजीत पुत्र बुद्धी राम - 01 अदद मानीटर, 01 अदद कीबोर्ड, 01 अदद माउस, 01 अदद सीपीयू व 02 अदद कम्प्यूटर केबल,
2. अभियुक्त राहुल पुत्र बालचन्द्र राम - 01 अदद नाजायद तमंचा .303 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस .303 बोर व 01 अदद सीबीसी मशीन, 01 अदद बारकोड स्कैनर मशीन

आपराधिक इतिहास- राहुल पुत्र बालचन्द्र राम

1-मु0अ0सं0 413/2023 धारा 457,380,411 भादवि थाना देवगांव आजमगढ़

2-मु0अ0सं0 422/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना देवगांव आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. राहुल पुत्र बालचन्द्र राम निवासी रकैचा थाना तरवां जनपद आजमगढ़
2. अमरजीत पुत्र बुद्धी राम निवासी रकैचा थाना तरवां जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 गौरव कुमार सिंह व उ0नि0 मुरारी मिश्रा मय हमराह थाना देवगाँव आजमगढ़

2.निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी प्रभारी स्वाट टीम प्रथम मय आजमगढ़।

3.निरीक्षक संजय सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल आजमगढ़

4.मुख्य आरक्षी यशवन्त कुमार सिंह सर्विलांस सेल आजमगढ़

थाना- देवगाँव

लूट की घटना का सफल अनावरण; लूट की मोबाइल व चेन के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक 10.09.2023 को वादी मुकदमा शनि कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम गिरधरपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि दिनांक 10.08.2023 को शाम 09.00 बजे अपने चचेरे भाई पवन के साथ शौच के लिये बाइपास के किनारे स्थित तालाब के किनारे जाकर शौच के लिये बैठते समय तालाब के पूर्वी किनारे पर पहले से मुंह बांधकर मौजूद 4 अज्ञात व्यक्ति द्वारा मिलकर कट्टा दिखाकर हाथ में लिया हुआ सैमसंग मोबाइल व गले में पहना हुआ चैन छिन लिया गया, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 375/2023 धारा 392 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचना नि0अ0 रूद्रभान पाण्डेय द्वारा किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 12.09.2023 को नि0अ0 रूद्रभान पाण्डेय मय हमराह को सूचना मिली कि दो व्यक्ति अपाची गाडी से कलीचाबाद पश्चिमी गेट के पास मौजूद है। जिनके पास अवैध तमंचा भी मौजूद है व दोनो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक मे है। इस सूचना पर कलीचाबाद पश्चिमी गेट से उक्त दोनो व्यक्ति को हमराही पुलिस बल की मदद से पकड़ लिया गया। पकडे गये व्यक्तियों ने अपना नाम नीलू चौहान उर्फ रिशूराज चौहान पुत्र राजबहादुर ग्राम कलीचाबाद थाना देवगांव जनपद आजमगढ व दूसरे ने अपना नाम उमेश चौहान पुत्र सूरजबली ग्राम बनारपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ बताया।

बरामदगी का विवरण- उमेश चौहान के कब्जे से एक अदद चाकू व एक अदद मोबाइल सैमसंग A7 बरामद हुआ। नीलू चौहान उर्फ रिशूराज चौहान के कब्जे से एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर तथा एक अदद चेन बरामद हुआ।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि ने बताया कि हम दोनो व हमारे साथी महेश यादव पुत्र सतीराम निवासी ताहिरपुर थाना देवगांव आजमगढ़ तथा आकाश यादव पुत्र विनोद यादव निवासी पड़ौवा देवगांव थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ के साथ दिनांक 10.08.2023 को रात्रि 09.00 बजे गिरधरपुर तालाब के पास शीशम के पेड़ के नीचे बैठकर शराब पी रहे थे कि दो लड़के आये जिनमें से एक हम लोगों के सामने बैठकर शौच करने लगा जिसे देखकर हम लोगों को गुस्सा आ गया और उसे धमकाते हुए उसके हाथ में लिया हुआ मोबाइल व गले में पहना हुआ चैन छिनकर हम चारो लोग उमेश चौहान की इसी अपाचे मोटर साइकिल से भाग गये। अन्य घटनाओं के सम्बन्ध में पूछने पर बताये कि कभी कभी मेरे साथी आकाश यादव की बुलेट मोटर साइकिल से भी हम लोग जाकर आने जाने वाले लोगों का हजार पाँच सौ रूपया छिन कर आपस में पार्टी करते रहते हैं। मेरा एक साथी शिवा चौहान पुत्र रामानन्द चौहान निवासी परसौरा थाना देवगाँव आजमगढ़ भी हम लोगों के साथ कुछ घटना में गया है लेकिन इस घटना में नही था। अभियुक्तो को समय करीब 16.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा घटना में संलिप्त दो अन्य अभियुक्त महेश यादव पुत्र सतीराम निवासी ताहिरपुर थाना देवगांव आजमगढ़ व आकाश यादव पुत्र विनोद यादव निवासी पड़ौवा देवगांव थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ फरार है जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण- मु0अ0सं0 375/2023 धारा 392,412 भादवि थाना देवगांव जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. नीलू चौहान उर्फ रिशूराज चौहान पुत्र राजबहादुर ग्राम कलीचाबाद थाना देवगांव जनपद आजमगढ
2. उमेश चौहान पुत्र सूरजबली ग्राम बनारपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद नाजायज तमंचा12 बोर व 01 अदद चैन पीली धातु (अभियुक्त नीलू चौहान उर्फ रिशूराज चौहान)
2. 01 अदद मोबाइल, 01 अदद नाजायज चाकू (अभियुक्त उमेश चौहान पुत्र सूरजबली)

आपराधिक इतिहास-

1. नीलू चौहान उर्फ रिशूराज चौहान

मु0अ0सं0 375/2023 धारा 392,412 भादवि थाना देवगांव जनपद आजमगढ

मु0अ0सं0 418/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना देवगांव जनपद आजमगढ

2. उमेश चौहान

मु0अ0सं0 375/2023 धारा 392,412 भादवि थाना देवगांव जनपद आजमगढ

मु0अ0सं0 419/2023 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना देवगांव जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. निरी0अप0 रुद्रभान पाण्डेय उ0नि0 मुरारी मिश्रा मय हमराह थाना देवगाँव आजमगढ़
2.निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी प्रभारी स्वाट टीम प्रथम
3.निरीक्षक संजय सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल आजमगढ़
4.मुख्य आरक्षी यशवन्त कुमार सिंह सर्विलांस सेल आजमगढ़
5. मु0आरक्षी अमित सिंह, मु0आरक्षी पवन यादव, मुख्य आरक्षी धर्मेंद्र यादव, आरक्षी अवनीश सिंह, आरक्षी सुनील कुमार प्रजापति, आरक्षी अरुण पाण्डेय मय स्वाट टीम प्रथम1.नि0 नन्द कुमार तिवारी प्रभारी स्वाट टीम

थाना बिलरियागंज

वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम मे वादिनी मुकदमा/पीड़िता थाना बिलरियागंज आजमगढ़ के प्रार्थना पत्र पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 77/2023 धारा 498ए/323/506/328/376डी भादवि बनाम (1) फिरोज अहमद (ससुर) पुत्र अज्ञात (2) आफताब (जेठ) पुत्र फिरोज अहमद 3- अशफाक (जेठ) पुत्र फिरोज अहमद (4) सितारूनिशा (सास) पत्नी फिरोज अहमद (5) निकहत बानो (ननद) पुत्री फिरोज अहमद (6) फरीन बानो (ननद) पुत्री फिरोज अहमद साकिन धोबियाना कासिमगंज , थाना बिलरियागंज , जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया था जिसमे वांछित आभियुक्त फिरोज अहमद पुत्र गफ्फार उर्फ शादिक व आफाक पुत्र फिरोज अहमद निवासीगण धोबियाना कासिमगंज थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को आज दिनांक 13.09.2023 को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 13.09.2023 को थानाध्यक्ष बसंत लाल थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.फिरोज अहमद पुत्र गफ्फार व अशफाक पुत्र फिरोज अहमद निवासीगण धोबियाना कासिमगंज थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ व 2. आफाक पुत्र फिरोज अहमद निवासीगण धोबियाना कासिमगंज थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को अभियुक्तों के घर धोबियान कासिमगंज से समय करीब 13.05 बजे हिरासत पुलिस लिया गया अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 77/2023 धारा 498ए/323/506/328/376डी भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. फिरोज अहमद पुत्र गफ्फार उर्फ शादिक निवासी धोबियाना कासिमगंज थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2. आफाक पुत्र फिरोज अहमद निवासी धोबियाना कासिमगंज थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1.थानाध्यक्ष बंसत लाल मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना- बरदह

मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास– दिनांक 11-09-2023 को वादी मुकदमा जुड़ावन S/0 हरगुन ग्राम केदलीपुर थाना बरदह आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि अभियुक्तो 1- रामहित S/0 रामलाल, 2-किशन पुत्र रामलाल, 3- सागर S/0 रामहित, 4- संगम S/O राहित, 4- मोनू पुत्र किशन ने वादी की पत्नी व लड़कियो को मारा पीटा है, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 371/23 धारा 323/504/506/34 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना व0उ0नि0 गोपाल जी द्वारा प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण– दिनांक 13-09-2023 को व0उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह द्वारा मुकमदा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रामहित पुत्र रामलाल निवासी केदलीपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ को सरायमोहन से समय करीब 12.00 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 371/23 धारा 323/504/506/34 भादवि0 थाना बरदह आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता- रामहित पुत्र रामलाल निवासी केदलीपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ।

बरामदगी का विवरण- घटना में प्रयुक्त एक डण्डा व एक लोहे का राड

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 371/23 धारा 323/504/506/307/34 भादवि0 थाना बरदह आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 49/17 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना बरदह आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 193/14 धारा 147, 323, 352, 427, 452,504,506 भादवि0 थाना बरदह आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. व0उ0नि0 गोपाल जी थाना बरदह, आजमगढ़
2. उ0नि0 महबूब अली मय हमराह थाना बरदह, आजमगढ़